समाहर्त्ता न्यायालय, पूर्णिया

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी और तारीख
13.11.2020	**उत्पाद वाद संख्या-180/2020** **(बड़हरा थाना काण्ड सं0-32/2020 से उत्पन्न)** राज्य बनाम 1. **सूर्य नारायण जयसवाल, पिता-अजब नारायण जयसवाल, सा0-रामनगर फरसाही, पो0-चोपड़ारामनगर, थाना-जानकीनगर, जिला-पूर्णिया। (जप्त MOTORCYCLE NO.-BR11D-0418 के निबंधित स्वामी)** 2. **पृथ्वी ऋषि, पिता-स्व0 बैसाखी उर्फ परमेश्वरी ऋषिदेव, सा0-कचहरीटोला, रामपुरतिलक, वार्ड नं0-09, थाना-जानकीनगर, जिला-पूर्णिया। (जप्त MOTORCYCLE NO.-BR11D-0418 के क्रेता)** .... *विपक्षीगण* **आदेश** अभिलेख उपस्थापित। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** के पत्रांक **696/हि0शा0 दिनांक-19.02.2020** द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि **उक्त वाहन की जांच दिनांक 02.02.2020 को बड़हरा थाना अंतर्गत सुखासन कोठी चौक के पास की गई।** जांच के क्रम में **विपक्षी के जप्त वाहन से 06.000 लीटर अवैध देशी शराब** पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर **बड़हरा थाना काण्ड सं0-32/2020 दिनांक 02.02.2020** दर्ज कराई गई। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है। इस वाद में विपक्षी सं0-01 द्वारा दिनांक 27.07.2020 को कारणपृच्छा समर्पित करते हुए अवगत कराया गया कि जप्त वाहन की बिक्री दिनांक 14.12.2014 को विपक्षी सं0-02 के पास कर दी गई है। तत्पश्चात् ज्ञापांक 2374/विधि दिनांक 14.09.2020 द्वारा निबंधित डाक के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु विपक्षी सं0-02 को नोटिस भेजा गया। परन्तु विपक्षी सं0-02 उपस्थित नहीं हुए। **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** से प्राप्त प्रस्ताव तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है।	

स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है।

संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागु होने के वाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत् उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत **जप्त MOTORCYCLE NO.-BR11D-0418** को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक, मद्यनिषेध, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।